12/27/12 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय से एक एक कर तीन मरतबा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उप० नहीं। अतः वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रा० के सल शुमार होकर बाद तकमील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़